

बेधाशा
20

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>11/2/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपरिधत है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वीरे/ अत्रकाश/अन्य सज्जन्य में तदारीफ रखते है। पत्रावली दि <u>26/5/22</u> को पेश हो।</p>	
<p>26/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपरिधत है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वीरे/ अत्रकाश/अन्य सज्जन्य में तदारीफ रखते है। पत्रावली दि <u>19/9/22</u> को पेश हो।</p>	
<p>19/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपरिधत है। बहस प्रार्थना पत्र नं. 2 सुनी गयी। प्रार्थना पत्र नं. 2 से 5, 7 से 14 की ओर से प्रार्थना की याचना अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के समर्थन में इकवाली जवाब पेश किया है। वकील प्रार्थना ने अपनी बहस में प्रार्थना में उचित तथ्यों को दोहराया। बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र नं. 2, जवाब प्रार्थना पत्र तथा उपरिधत रिमांड दस्तवेज आदि का प्रवलोकन किया। उपरिधत दृष्टया फेल व सुविधा सन्तुलन प्रार्थना के वक्ष में उनीत होता है। अतः दिनांक 14.09.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को फुल्ट किया जाकर ताफेसल बाद प्रार्थना को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद इकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बुन्वी)

